रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

## भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-13122025-268483 SG-DL-E-13122025-268483

# असाधारण EXTRAORDINARY

# प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 387] दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 10, 2025/अग्रहायण 19, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 375 No. 387] DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2025/AGRAHAYANA 19, 1947 [N. C. T. D. No. 375

## भाग IV PART IV

# राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

व्यापार एवं कर विभाग (नीति एवं अनुसंघान शाखा)

## अधिसूचना

दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2025

#### सं. 17/2025-राज्य कर

- फा. सं. डीटीटी-डी011/45/2025-नीति-टीटी-व्यापार एवं कर विभाग/671.—दिल्ली माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 168 के साथ पठित धारा 39 की उपधारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयुक्त, परिषद की सिफारिशों पर एतद द्वारा पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रपत्र जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को आगे बढ़ाते हैं, जैसा कि नीचे निर्दिष्ट है:-
  - (i) धारा 39 की उपधारा (1), सितंबर, 2025 माह के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसवें दिन तक।
  - (ii) धारा 39 की उपधारा (1) का परन्तुक, जुलाई, 2025 से सितंबर, 2025 की तिमाही के लिए, अक्टूबर 2025 के पच्चीसर्वे दिन तक।

नीरज सेमवाल, आयुक्त (राज्य कर)

8330 DG/2025 (1)

#### DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

## (Policy and Research Branch)

#### **NOTIFICATION**

Delhi, the 10th December, 2025

#### No. 17/2025-StateTax

- **F. No. DTT-D011/45/2025-Policy-TT-Trade and Taxes Department**—671.—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of section 39 read with section 168 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017), the Commissioner, on there recommendations of the Council, hereby extends the time limit for furnishing the return in FORM GSTR-3B electronically, through the common portal, by the registered persons, as specified under:-
  - (i) sub-section(1) of section 39, for the month of September, 2025, till twenty-fifth day of October, 2025:
  - (ii) proviso to sub-section (1) of section 39, for the quarter of July, 2025 to September, 2025, till twenty-fifth day of October, 2025

NEERAJ SEMWAL, Commissioner (State Tax)